

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां, जिला बारां (राजस्थान)

क्रमांक:- 37

दिनांक :- 29.11.17

:- कार्यालय आदेश :-

मैं लोकेश कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां एतद्वारा धारा 15(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न तिथियों को आवश्यक प्रकृति के दाण्डिक कार्य जैसे बेल, रिमाण्ड, सुपुर्दगी, मृत्युकालिन कथन आदि हेतु निम्न न्यायिक अधिकारियों का कार्य उनके मुख्यालय पर नियत करता हूँ।

क्र० सं०	पीठासीन अधिकारी का नाम	मुख्यालय का नाम	दिनांक	मोबाईल नं०
1	श्री रोहित सक्सैना आर.जे.एस.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां	24 व 25.12.2017	94149-67750
2	श्री मोहनलाल जाट आर.जे.एस.	प्रिन्सीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड बारां	31.12.2017 व 01.01.2018	9929244975
3	श्री विजेन्द्र सिंह महलावत आर.जे.एस.	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहबाद	07.01.2018	94131-73232
4	श्रीमति सुनीता नसवरिया, आर.जे.एस.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज	26,27 व 28.1.2018	9460510034
5	श्री प्रखर संदल, आर०जे०एस०	न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू	21.01.2018	94142-47516
6	श्री राजेन्द्र सिंह जाटव, आर०जे०एस०	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मांगरोल	13 व 14.01.2018	94602-53324

प्रत्येक उक्त न्यायिक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथियों पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य के निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां को सूचना दिये अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे किसी विशेष परिस्थितियों में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां व मुख्य मजिस्ट्रेट, बारां से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव देते हुए अपना मुख्यालय छोड़ सकेंगे।

नोट:- उपरोक्त के अलावा संबंधित थानाधिकारी अपने मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी यदि वह अपने मुख्यालय पर मौजूद है, से भी रिमाण्ड आदि ले सकेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां (राजस्थान)

क्रमांक :- 1323

दिनांक :- 29.11.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां
2. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित कर लेख है कि बारां जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
3. संबंधित अधिकारी श्री.....
4. थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां।
5. कोर्ट मैनेजर जिला न्यायालय, बारां को बारां न्याय क्षेत्र की Website - [ecourts.gov.in/ baran](http://ecourts.gov.in/baran) पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय प्रति।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां (राजस्थान)